



एफिडेविट्स के लिए आदेश

सन्दर्भ में:

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार

नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §§96-4(c) और 96-15(e) के अनुसार, यह अभियोग बोर्ड ऑफ रिव्यू (बोर्ड) के समक्ष (खारिज करने के आदेश) (एक निर्णय) से (दावेदार) (नियोक्ता) की अपील, अपील रेफरी द्वारा अपील डॉकेट संख्या \_\_\_\_\_ के तहत आया था। अपील में, पुनःसुनवाई का अनुरोध किया गया है (प्रति संलग्न की है)।

\_\_\_\_\_ के पुनःसुनवाई के अनुरोध के फायदों पर पूरी तरह से विचार करने के लिए, उन्हें हस्ताक्षरित और नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लिया हुआ एफिडेविट पेश करना होगा, उनकी \_\_\_\_\_ तारीख को अपील रेफरी के समक्ष होने वाली सुनवाई में उपस्थित रहने में विफलता के लिए सम्बंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ (नाम, स्थान, तिथियाँ, समय, आदि) को समझाना या जवाब देना होगा, और/ या सुनवाई की सूचना जो सभी पक्षों को दी गई थी, उसमें निर्धारित सुनवाई की तारीख और/ या समय में बदलाव का अनुरोध करने में विफलता को समझाना होगा। इस मामले से सम्बंधित किसी भी जानकारी को प्रदान के लिए \_\_\_\_\_ एफिडेविट प्रस्तुत कर सकता/ सकती/ सकते हैं।

उपरोक्त फॉर्म में दिए गए एफिडेविट को विरोधी पक्ष को प्रदान करना चाहिए और उसमें एक बयान होना चाहिए जो यह प्रमाणित करे कि विरोधी पक्ष को एक प्रति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा, एफिडेविट को Board of Review, Post Office Box 28263, Raleigh, NC 27611-8263, द्वारा \_\_\_\_\_ तारीख को पूर्वी समयानुसार शाम 5:00 बजे तक प्राप्त किया जाना चाहिए। किसी भी पूर्ववर्ती परिस्थितियों का पालन करने में पक्ष की विफलता का परिणाम यह हो सकता है कि बोर्ड ऑफ रिव्यू अपनी समीक्षा में उनके एफिडेविट पर विचार करने से मना कर दे, या अपील/ अनुरोध को अस्वीकार कर दे। 24 N.C. एडमिन. कोड 24A .0106 के अनुसार, एक ख़ाच्य, फ़ैस की प्रति को (919) 715-7193 को भेजे जाने के दिन पर प्राप्त समझा जाएगा।

**यह दिया गया आदेश है।**


बोर्ड ऑफ रिव्यू के सदस्य Susan Doe और John Doe इस अपील में सहभागी हुए और इस फैसले से सहमत हैं।

**महत्त्वपूर्ण - निम्नलिखित पृष्ठ देखें**

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

पृष्ठ दो का दो

यह .



बोर्ड ऑफ़ रिव्यू

---

चेयरमैन

### **सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना**

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(32) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि, (एक नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली थर्ड-पार्टी कंपनी से व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त अटॉर्नी होना चाहिए, या N.C. Gen. Stat. अध्याय 84 और § 96-17(b) के तहत लाइसेंस प्राप्त अटॉर्नी द्वारा निरीक्षित व्यक्ति होना चाहिए। अटॉर्नी पर्यवेक्षण की सूचनाएँ और/या प्रमाणीकरण लिखित में 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार होनी चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. अध्याय. 84 का पालन करना चाहिए।**

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष का एक कानूनी प्रतिनिधि होता है, पक्ष को भेजे जानेवाले सभी आवश्यक दस्तावेज या जानकारी केवल कानूनी प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे। पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उसी महत्त्व और प्रभाव के रूप में होगी जैसे कि उसे सीधे पक्ष में भेज दिया गया हो।

**जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार को किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों का पुनर्भुगतान करना होगा, जो कि बाद में अपील से वापस आ जाएगा N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)।**

अपील दायर करने की तारीख:

निर्णय मेल करने की तारीख: